(2007) 8 एस.सी.आर. 406

भारत का संघ और अन्य

बनाम

एस.एस. गिल

19 जुलाई,2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे.जे.)

सेवा कानून:

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955-नियम 8 (बी) वरिष्ठता सी.आर.पी.एफ में नियुक्त सेना में शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों का निर्धारण- वरिष्ठता के लिए पिछली सेना सेवा की गणनाय धारिता, पात्रताः नियम 8 (बी) में कोई प्रावधान सेना अधिकारी या फिर से नियुक्त सेना अधिकारी को सी.आर.पी.एफ में वरिष्ठता के लिए अपनी सेना सेवा को गिनने में सक्षम नही बनाता है-इस प्रकार एस.एस.सी.ओ.एस अपनी वरिष्ठता को गिनने के लिए सेना में पिछली सेवा का लाभ लेने के हकदार नहीं है।

शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारिया को सेना में छोटी सेवा पर आपातकालीन कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें केंद्रीय रिजर्व

पुलिस बल में नियुक्ति की पेशकश की गई और उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 के तहत सीधे अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया। नियुक्ति के संदर्भ में वे वेतन निर्धारण को छोड़कर सी.आर.पी.एफ में वरिष्ठता के लिए अपनी सेना सेवा की गणना करने के हकदार नहीं थे। एस.एस.सी.ओ. का तर्क था कि उनकी वरिष्ठता सशस्त्र बलों में अटूट सेवा पर विचार करने के बाद निर्धारित की जानी थी। अपीलकर्ता -भारत संघ ने तर्क दिया कि एस.एस.सी.ओ. वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सेना में अपनी पिछली सेवा को सी.आर.पी.एफ में गिनाने के पात्र नहीं थे। लेटर्स पेटेंट अपील दिल्ली उच्च न्यायालय और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि एस.एस.सी.ओ. एस सेना में पिछली सेवा का लाभ पाने का हकदार नहीं था, हालांकि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने इसे अन्यथा माना इसलिए, वर्तमान मायने रखता है।

सीए 5353/2000 को अनुमति देते हुए और अन्य अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने निर्धारण किया कि:- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 का नियम 8 (बी)(i) केवल सेना अधिकारियों के बीच, सेना के अधिकारियों और पुनः नियोजित सेना अधिकारियों के बीच, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के बीच, और समकक्ष रैंक के गैर-सेना अधिकारियों के बीच वरिष्ठता को नियंत्रित करता है। इस नियम में अभिव्यक्ति 'रैंक' का अर्थ है सी.आर.पी.एफ. में रैंक है। नियम 8 (बी) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि एक सेना अधिकारी की एवं पुनर्नियुक्त सेना अधिकारी की पूर्व सेवा को सी.आर.पी.एफ. में वरिष्ठता उद्देश्य से गिना जाएगा। चूंकि नियम 8

(बी) (i) इस संबंध में मौन है इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा सैन्य अधिकारियों या पुनर्नियोजित सेना अधिकारियों को सेना सेवा का लाभ देने के उद्देश्य से कार्यकारी निर्देश जारी किए जा सकते है। नियम 8 जब यह कहता है कि "एक सेना अधिकारी एक विशेष रैंक के सेना अधिकारियों के बीच अपनी वरिष्ठता बनाए रखेगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में फिर से नियुक्त एक सेना अधिकारी एक विशेष रैंक सेना के अधिकारियों के बीच अपनी सेना सेवा बनाए रखेगा" केवल इसका मतलब है कि सेना के अधिकारियों के बीच और एक पुनर्नियोजित सेना अधिकारी और एक सेना अधिकारी के बीच सी.आर.पी.एफ.एक विशेष रैंक के लिए उनकी वरिष्ठता सेना में उनकी वरिष्ठता के आधार पर तय की जाएगी। (पैरा 7) (409-बी-एच)

आर.सी.साही और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1999) 1 एस.एस.सी. 482 और रवि पॉल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1995) 3 एस.सी.सी. 300, पर निर्भर

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2000 की सिविल अपील सं. 5353

जम्मू उच्च न्यायालय के 27.04.2000 दिनांकित निर्णय और आदेश से जम्मू - कश्मीर एल.पी.ए.नं(एस. डब्ल्यू.) 121/991

साथ

सी.ए. सं.3133/2007, 5354/2000-डब्ल्यू.पी.(ग) सं. 596/2000

परमजीत सिंह पटवालिया और जे.एल.गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमन प्रीत सिंह

राही, इंद्र साहनी, सुषमा सूरी, किरण सूरी, एस.जे. अमिथ, कीर्ति रेणु मिश्रा, आदित्य कुमार चौधरी ओर उग्र शंकर प्रसाद अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से ई. सी. अग्रवाल।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

डॉ. अरिजीत पायासत, जे.

1. आई. 2003 के एस.एल.पी. (सी) सं 1961 में अनुमति दी गई।

2. 2003 की एस.एल.पी. (सी) संख्या. 1961 से संबंधित अपील में चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के लेटर्स पेटेंट अपील नं. 702/2000 में दी गई है, की सिविल अपील संख्या 5353/2000 जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर लेटर्स पेटेंट अपील में निर्देशित है। भारत संघ द्वारा। 2000 की सिविल अपील संख्या 5354 आर.के.दुआ द्वारा दायर की गई है जो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष लेटर्स पेंटेंट अपील में पक्षकार नहीं थे। 2000 की रीट याचिका संख्या 596 में भी इसी तरह की बात शामिल है।

3. यह विवाद केंद्रीय कानून के नियम 8 (बी) की व्याख्या से संबंधित है। रिर्जव पुलिस बल नियम, 1955 (संक्षेप में 'नियम')। भारत संघ के अनुसार, लघु सेवा कमीशन अधिकारी (संक्षेप में 'एस.एस.सी.ओ.') वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सेना में अपनी पिछली सेवा को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (संक्षेप में सी.आर.पी.एफ') में गिनने के पात्र नहीं हैं, जबकि एस.एस.सी.ओ के अनुसार सशस्त्र बलों में अटूट सेवा पर विचार करने

के बाद वरिष्ठता निर्धारित करने की आवश्यकता होती हैं जबकि एस.एस.सी.ओ एस.ने.पी. जी. में इस न्यायालय के निर्णय दिनांकित 21.01.1986 शेट्टी और अन्य बनाम भारत संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर मजबूत भरोसा रखा। (यू.बी.एस.तेवतिया और अन्य) के निर्णय को बरकरार रखा। भारत संघ ने रवि पॉल और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। वी. भारत संघ और अन्य (1995) 3 एस.सी.सी. 300

4. दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि एस.एस.सी.ओ. सेना में पिछली सेवाकाल लाभ प्राप्त के हकदार नहीं है। सेना में पिछली सेवा का लाभ जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने इसे जबकि अन्यथा माना।

5. इस समय प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ तथ्यात्मक पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एस.एस.सी.ओ.एस को सेना में शॉर्ट सर्विस पर आपातकालीन कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें सी.आर.पी.एफ. में नियुक्ति की पेशकश की गई थी। एल.पी.ए. में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता संख्या 4,7,10 और 11 के संबंध में नियुक्ति की पेशकश में, निम्नलिखित शर्तें प्रासंगिक है:-

> “4. नियुक्ति की अन्य शर्तें इस प्रकार होंगीः
>
> (i) आपको नियम 105(4) (iv) के तहत सीधे अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और आप प्रत्येक पूर्ण वर्ष की कमीशन सेवा

के लिए एक वेतन वृद्धि में वेतन निर्धारण को छोड़कर सी.आर.पी.एफ में वरिष्ठता के लिए अपनी सेना सेवा की गणना करने के हकदार नहीं होंगे।"

6. आर.सी. साही एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (1999) एस.सी.सी. 482 यह निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

"17. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि मुख्य नियम में ई.सी.ओ.एस. को सेना सेवा में पिछली सेवा का लाभ देने के लिए प्रावधान के अभाव में कार्यकारी निर्देश अनुमन्य है। कार्यकारी निर्देश दिनांक 05.07.1972 उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जारी किए गए थे। विद्ववान वकील डॉ राजीव धवन गंभीरता से यह तर्क नहीं दे सके की यदि 05.07.1972 के कार्यकारी निर्देशों को लागू किया जाना है और ई.सी.ओ. की पिछली सैन्य सेवा को जोड़ा गया है, निजी उत्तरदाता याचिका कर्ताओं से वरिष्ठ होंगे। यह उत्तरदाताओं 1 और 2 का विशिष्ट मामला है कि विवादित वरिष्ठता सूची दिनांक 5.07.1972 के कार्यकारी निर्देशों के आधार पर तैयार की गई थी। इसलिए, इसमें संदेह की कोई गुजांइश नहीं है कि उत्तरदाताओं 1 और 2 द्वारा अब तैयार की गई वरिष्ठता सूची पूरी तरह से कानून के अनुरूप है और साही के मामले में इस न्यायालय के निर्देशों के

अनुपालन में है।"

7. रवि पॉल के मामले में (सुप्रा) इसे इस प्रकार देखा गयाः

"22. इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि सी.आर.पी.एफ नियमों का नियम 8 (बी) (i) केवल सेना अधिकारियों के बीच, सेना के अधिकारियों और पुनः नियोजित सेना अधिकारियों के बीच, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के बीच, और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, गैर-सेना और समकक्ष रैंक के सैन्य अधिकारी के बीच वरिष्ठता को नियंत्रित करता हैं। इस नियम में अभिव्यक्ति 'रैंक' का अर्थ सी.आर.पी.एफ. में रैंक हैं। नियम 8 (बी) में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि सेना अधिकारी की पिछली सेना सेवा या पुनः नियोजित सेना अधिकारी को सी.आर.पी.एफ में वरिष्ठता के उद्देश्य से गिना जाएगा। चूंकि नियम 8 (बी) (i) इस संबंध में मौन है, इसलिए सेना अधिकारियों, व पुनः नियुक्त सेना अधिकारियों को सेना सेवा का लाभ देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस दृष्टि से भारत सरकार ने अपने दिनांक 05.07.1972 के पत्र में महानिदेशक बी.एस.एफ और सी.आर.पी.एफ के साथ-साथ आई.जी (आई.टी.बी.पी.) और सचिव (गृह) अरुणाचल प्रदेश प्रशासन को निदेर्शित किया है कि बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी. और असम राइफल्स में नियुक्त पूर्व-

ई.सी.ओ.एस की वरिष्ठता तय करने के उद्देश्य से कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं। हालाँकि, उक्त सिद्धांत केवल पूर्व-ई.सी.ओ.एस. पर लागू थे, जो 1967 से 1970 की अवधि के दौरान इन बलों में शामिल/ नियुक्त किए गए थे। यू.बी.एस में तेवतिया बनाम भारत संघ (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी.आर.पी.एफ नियमों के नियम 8 का अर्थ यह लगाया है कि सेना अधिकारी जो फिर से नियोजित हैं या सेना अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं उन्हें अपनी मूल वरिष्ठता बरकरार रखनी होगी और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। हमें नियम 8 का इस प्रकार का प्रभाव होना दर्शित नहीं आता है। हमारी राय में, उक्त नियम जब यह कहता है कि "एक सेना अधिकारी एक विशेष रैंक के भीतर सेना के अधिकारियों के बीच अपनी वरिष्ठता बनाए रखेगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में फिर से नियुक्त एक सेना अधिकारी एक सीमा के भीतर सेना के अधिकारियों के बीच अपनी सेना सेवा बनाए रखेगा विशेष रैंक" का मतलब केवल यह है कि सेना अधिकारियों के बीच और एक पुनः नियोजित सेना अधिकारी और एक सेना अधिकारी के बीच सी.आर.पी.एफ में एक विशेष रैंक के लिए उनकी वरिष्ठता सेना में उनकी वरिष्ठता के आधार पर तय की जाएगी। हमें नियम 8 (बी) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला जो एक सेना अधिकारी को या फिर से नियुक्त सेना अधिकारी

को सी.आर.पी.एफ में वरिष्ठता के उद्देश्य से उसकी सेना सेवा की गणना को सक्षम बनाता हो। इसलिए हम यू.बी.एस. मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय तेवतिया बनाम भारत संघ (सुप्रा) के फैसले को बरकरार रखने में असमर्थ है। इन्हीं कारणों से दिनांक 21.01.1986 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश यू.बी.एस में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिकाओं में धारित किया गया है। तेवतिया मामले (सुप्रा) में कहा गया है कि "प्रतिवादी सी.आर.पी.एफ. नियमों के नियम 8 के तहत सेना अधिकारी हैं और वे वरिष्ठता की गणना के उद्देश्य से ई.सी.ओ.एस और एस.एस.सी.ओ के रूप में अपनी अखंड सेवा की अवधि को जोड़ने के हकदार हैं" को नियम 8 सी.आर.पी.एफ. नियमों की सही व्याख्या के आधार पर नहीं माना जा सकता हैं उक्त टिप्पणियाँ केवल उस विशेष मामले तक ही सीमित होनी चाहिए।"

8. उपरोक्त दो निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय सही है और उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जबकि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का निर्णय बचाव योग्य नहीं है और इसलिए इस अपास्त किया जाता है। सिविल अपील संख्या 5353/2000 की अनुमति दी गई जबकि अन्य अपीलें खारिज कर दी गई। रिट याचिका पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

9. खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सिविल अपील 5353/2000 की अनुमति दी गई।

सिविल अपील 3133/2007 और 5354/2000 को खारिज किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।